

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पो.आ. -आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड
जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

विज्ञापन नं. उ.व.अ.सं./जबलपुर/सम्पत्ति/रखरखाव-सिविल /volume-12/2016-17, दिनांक 23/10/2016

निविदा आमंत्रण अवधि वृद्धि सूचना

दैनिक भास्कर में दिनांक 02/10/2016 को प्रकाशित निविदा सूचना के संबंध में, संस्थान के वार्षिक पानी सप्लाई एवं पम्प रख रखाव कार्य हेतु दिनांक 18.10.2016 तक निविदाएँ आमंत्रित की गई थी, जिसकी अवधि अपरिहार कारणों से बढ़ाई जा रही है। अतः उक्त कार्य की निविदा दिनांक 03.11.2016 को दोपहर 03:00 बजे तक जमा की जा सकेगी तथा उसी दिन दोपहर 03:15 बजे खोली जावेगी। उपरोक्त संबंध में अधिक जानकारी सम्पत्ति अधिकारी से दूरभाष क्रमांक “0761- 2840006” पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा संबंधी निविदा प्रपत्र एवं संपूर्ण जानकारी संस्थान के वेब साइट <http://tfri.icfre.gov.in> से डाउनलोड की जा सकती है। डाउनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ ₹.500/- का बैंक ड्राफ्ट **Director, TFRI, Jabalpur** के नाम जो **Jabalpur** में देय होगा संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त निविदा प्रपत्र अमान्य होगा।

निदेशक

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर

कार्यालयीन उपयोग हेतु -

1. निविदा प्रपत्र का अनुक्रमांक:.....
2. निविदा प्रपत्र जारी करने का दिनांक :.....
3. निविदा प्रपत्र जारी करने वाले अधिकारी
के हस्ताक्षर एवं सील :.....

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पौ.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

फोन : 0761 - 2840006

निविदा प्रपत्र

कार्य क्रमांक (2)

संस्थान अन्तर्गत कुल दस स्थानों पर लगे मौनोब्लाक, सेंद्रीफ्यूगल, सबमर्सिबल पम्प आदि, जिनके द्वारा आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय किया जाता है, के चालन, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य।

निविदा जमा करने की तिथि एवं समय : 03/11/2016, समय : दोपहर 03.00 बजे तक

निविदायें खोलने की तिथि एवं समय : 03/11/2016, समय : दोपहर 03.15 बजे से

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पौ.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

निविदा प्रपत्र भरने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में निर्देश

1. निविदा प्रपत्र की फोटो प्रति मान्य नहीं है। अतः निविदा भरने हेतु संस्थान से प्राप्त किये गये मूल निविदा प्रपत्र का ही उपयोग करें। बैबसाईट से डाउन लोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ ₹.500/- का बैंक ड्राफ्ट Director, TFRI, Jablapur के नाम जो जबलपुर में देय होगा संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा उक्त निविदा प्रपत्र अमान्य होगा।
2. निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व कार्य का विस्तृत विवरण, निविदा की शर्तों तथा समय-सारणी का भलीभांति अध्ययन करें। इस संबंध में अन्य जानकारी, स्पष्टीकरण एवं स्थल निरीक्षण हेतु सम्पत्ति अधिकारी से दूरभाष (क्र. 0761-2744121) अथवा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र को साफ-साफ भरें। कहीं श्री ओव्हर राईटिंग नहीं करें। यदि कहीं पर सुधार करना है तो पहले की गई प्रविष्टी को पूरा काटकर नई जानकारी लिखें एवं वहाँ पर अपने हस्ताक्षर भी करें।
4. निविदा प्रपत्र की सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करें। यदि कोई प्रविष्टि आपसे संबंधित नहीं है तो उसको भी खाली नहीं छोड़ें बल्कि वहाँ पर "लागू नहीं" अंकित करें।
5. निविदा प्रपत्र के साथ प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट लगाना न भूलें।
6. निविदा की शर्तों पर निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करें। साथ ही निविदा के प्रत्येक पृष्ठ के बायें नीचे सिरे पर भी हस्ताक्षर करें।
7. निविदा प्रपत्र वाले लिफाफे में डिमान्ड ड्राफ्ट तथा अन्य दस्तावेजों को लिफाफे में रखकर बंद करें। निविदा के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। अपूर्ण निविदा प्रपत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। इस लिफाफे के ऊपर विज्ञापन क्रमांक तथा निविदा खोले जाने की तारीख अंकित करें। साथ ही बायें नीचे के कोने पर अपना नाम एवं पूर्ण पता अंकित करें।
8. कृपया यह सुनिश्चित करें कि निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि तथा समय तक कार्यालय को प्राप्त हो जाय। निविदा प्रस्तुत करते समय कार्यालय से पावती प्राप्त करें। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्रस्तुत की गई निविदा मान्य नहीं की जावेगी। समय के सम्बन्ध में निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।
9. एक लिफाफे में एक से अधिक निविदा प्रपत्र नहीं रखें। प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग निविदा प्रपत्र एवं लिफाफे का उपयोग करें।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पौ.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

फोन : 0761 - 2744121

निविदा प्रपत्र

1. निविदा जमा करने की तिथि एवं समय : 03/11/2016 , दोपहर 03.00 बजे तक।
2. निविदायें खोलने की तिथि एवं समय : 03/11/2016, दोपहर 03.15 बजे से।
3. कार्य का नाम : संस्थान अन्तर्गत कुल दस स्थानों पर लगे मोनोब्लाक, सेन्ट्रीफ्यूगल, सबमर्सिबल पम्प जिनके द्वारा आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय किया जाता है, के चालन, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य।
4. कार्य का विस्तृत विवरण : उपरोक्त कार्य में संस्थान परिसर अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों में संस्थान द्वारा तय किये गये समय-सारणी अनुसार महिने के सभी दिनों (रविवार एवं छुट्टी के दिनों को मिलाकर) में पानी प्रदाय करने हेतु निम्नलिखित स्थानों पर लगे पम्प के चालन, रख-रखाव एवं मरम्मत का कार्य :-
 - (i) गौर नदी - (अ) गौर नदी पर स्थापित 10 हार्स पावर एवं 20 हार्स पावर के मोनोब्लाक पम्प।
(ब) फिल्टर प्लॉट पर स्थापित 20 हार्स पावर के दो मोनोब्लाक पम्प।
(स) इनटेक वेल में स्थापित 20 हार्स पावर पौलडर पम्प।
 - (ii) सिल्वीकल्चर नर्सरी - नर्सरी के ट्यूबवेल में स्थापित 10 /7.5 हार्स पावर का एक सबमर्सिबल पम्प।
 - (iii) अकाष्ट वन उत्पाद प्रभाग नर्सरी -
(अ) नर्सरी के दो ट्यूबवेल में स्थापित 5 एवं 7.5 हार्स पावर के दो सबमर्सिबल पम्प।
(ब) नर्सरी में स्थापित 10 हार्स पावर के दो मोनोब्लाक पम्प पम्प।
 - (iv) संस्थान के कार्यालय परिसर -
(अ) नये प्रशासकीय भवन के पीछे ट्यूबवेल में स्थापित 5 हार्स पावर के दो सबमर्सिबल पम्प।
(ब) संस्थान परिसर में दो ट्यूबवेल में स्थापित 5 एवं 7.5 हार्स पावर के दो सबमर्सिबल पम्प।
(स) संस्थान परिसर के सम्पवेल में स्थापित 10 हार्स पावर के दो मोनोब्लाक पम्प।
 - (v) कम्यूनिटी हाल - कम्यूनिटी हाल परिसर के ट्यूबवेल में स्थापित 5 हार्स पावर का एक सबमर्सिबल पम्प।
 - (vi) आवासीय परिसर - (अ) 4 एच.पी. के दो ओपन वेल पम्प।
(ब) नई कालोनी आवासीय परिसर में टाईप III क्वाटर के समीप 7.5 एच.पी. सब मर्सिबल पम्प।
 - (vii) संस्थान के रेस्ट हाउस में 2 या 5 एच.पी. सबमर्सिबल।
 - (viii) संस्थान की नई आवासीय कालोनी में टाईप 3 के पीछे 7.5/10 एच.पी. सबमर्सिबल।
 - (ix) संस्थान परिसर में स्थित केन्द्रीय विद्यालय में स्थापित पम्प 5 एच.पी. सबमर्सिबल।
 - (x) नई कालोनी का गार्डन में स्थित पम्प हाउस (सम्प वेल) में दो 4 एच.पी. सेमी सबमर्सिबल मोटर।
 - (xi) पुराना कार्यालय भवन के समीप 2 / 3.75 एच.पी. सेमी सबमर्सिबल।
 - (xii) नये कार्यालय भवन के सामने स्थित फाउन्टेन में 5 /10 एच.पी. ओपन वेल।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

5. समय-सारणी : सुबह 6.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक आवश्यकतानुसार ।
6. निविदाकार का विवरण :
- (i) निविदाकार का नाम (यदि फर्म है तो फर्म का नाम) :
- (ii) निविदाकार के पिता का नाम
(यदि फर्म है तो फर्म के प्रोप्राईटर/भागीदारों के नाम) :
- (iii) पत्र व्यवहार का पता :
-
- (iv) फोन नम्बर :
- (v) निविदाकार की श्रेणी/केटेगरी :
- (vi) पंजीयन विवरण :
- (अ) विभाग का नाम जिसमें ठेकेदार के रूप में पंजीकृत हैं :
-
- (ब) पंजीयन क्रमांक :
- (स) पंजीयन समाप्त होने की तिथि :
7. पिछले तीन वर्षों में केन्द्र/राज्य शासन के विभागों/उपक्रमों में पम्प रख-रखाव के
रु. 2.00 लाख से ऊपर के कार्यों के ठेकों का विवरण :
- | अ.क्र. | शासकीय विभाग/उपक्रम का नाम | ठेका अवधि | ठेके की राशि |
|--------|----------------------------|-----------|--------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
8. वार्षिक रख-रखाव हेतु प्रस्तावित निविदा मूल्य :
- (अ) अंकों में -
- (ब) शब्दों में -
9. प्रतिभूति राशि जमा करने का विवरण :
- (1) बैंक ड्राफ्ट नम्बर :
- (2) बैंक ड्राफ्ट जारी करने की दिनांक :
- (3) बैंक ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम तथा शाखा :
-
- (4) बैंक ड्राफ्ट की राशि :
10. संलग्न किये गये प्रपत्र (जो लागू नहीं हो उसको कृपया काट दें) :
- (1) प्रतिभूति राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट ।
- (2) पार्टनरशिप डीड, पॉवर आफ उटार्नी की प्रति ।
- (3) ठेकेदार के रूप में पंजीयन का प्रमाण-पत्र ।
- (4) आयकर विभाग द्वारा प्रदायित आयकर क्लियरेंस सर्टीफिकेट ।
- (5) पिछले तीन साल में किये गये पम्प रख-रखाव कार्यों के प्रमाण-पत्र:
-
- (6) अन्य प्रपत्र :
-

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान

पौ.आ.-आर.एफ.आर.सी., मण्डला रोड

जबलपुर - 482 021 (म.प्र.)

निविदा शर्तें

(1) **कार्य का नाम :**

संस्थान अन्तर्गत कुल दस स्थानों पर लगे मौनोब्लाक, सैन्टीफ्यूगल, सबमर्सिबल पम्प आदि, जिनके द्वारा आवासीय तथा गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय किया जाता है, के चालन, मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य।

(2) **पात्रता :**

(i) निविदाकार केन्द्र शासन के विभाग - केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, रेल विभाग, डाकतार विभाग, दूरसंचार विभाग, रक्षा विभाग अथवा राज्य शासन के विभाग - लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग अन्तर्गत विद्युत/सिविल टेकदार के रूप में उचित श्रेणी (₹.2.00 लाख से उपर) में पंजीकृत होना चाहिये। केन्द्र/राज्य शासन के उपक्रम अन्तर्गत पंजीकृत उचित श्रेणी के विद्युत टेकदार भी निविदा भरने हेतु पात्र है। इसके अतिरिक्त इस कार्य का कम से कम तीन वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी इस कार्य के पात्र रहेंगे।

(ii) निविदाकार को पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों हेतु इस प्रकार के कार्यों के रख-रखाव एवं चालन के ₹. 2.00 लाख से ऊपर के वार्षिक रख-रखाव के ठेकों को संतोषजनक रूप से पूरा करने का अनुभव होना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र के साथ पिछले तीन वर्षों में किये गये कार्यों के कार्य आदेश एवं कार्य को संतोषजनक ढंग से पूरा किये जाने का सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

(iii) निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ आयकर विभाग द्वारा प्रदायित आयकर क्लियरेंस सर्टीफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।

(iv) यदि निविदाकार फर्म के रूप में पंजीकृत है तो फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र, पार्टनरशिप डीड एवं पावर ऑफ एटार्नी की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(3) **प्रतिभूति राशि : -**

(i) निविदा के साथ ₹. 25,000/- (₹.पच्चीस हजार मात्र) का शैड्यूल्ड बैंक द्वारा "निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर" के नाम पर देय बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट विज्ञापन दिनांक से तीन माह तक के लिए वैध होना चाहिये।

(ii) असफल निविदाकारों द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि निविदाओं पर अंतिम निर्णय लिये जाने की तारीख से 15 दिन के अन्दर वापिस कर दी जायेगी।

(iii) सफल निविदाकार द्वारा निविदा शर्त पाँच एवं छ: के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने एवं परफार्मेंस सिक्यूरिटी राशि जमा करने पर उसको प्रतिभूति राशि वापिस कर दी जावेगी।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

- (4) निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान को किसी भी निविदा को अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- (5) **अनुबन्ध पत्र :** सफल निविदाकार को स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के साथ एक अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। निदेशक, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान को अधिकार होगा कि वह अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा सफल निविदाकार के अनुरोध पर एक सप्ताह के लिए और बढ़ा सकते हैं, यदि वे निविदाकार द्वारा बताये गये कारणों से संतुष्ट हैं।
- (6) **परफार्मेंस सिक्यूरिटी :** सफल निविदाकार को अनुबन्ध पत्र के साथ में वार्षिक निविदित राशि के 10 प्रतिशत के बराबर अथवा रु. 25,000/-, इनमें से जो भी अधिक हो, परफार्मेंस सिक्यूरिटी कॉल डिपॉजिट अथवा बैंक ग्यारंटी के रूप में जो कि अनुबन्ध की दिनांक से 24 माह तक के लिए वैध होगी, जमा करनी होगी।
- (7) **प्रतिभूति राशि का राजसात :** यदि सफल निविदाकार द्वारा स्वीकृति आदेश की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर निविदा शर्त क्र. 5 एवं 6 के अनुसार अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये जाते हैं एवं परफार्मेंस सिक्योरिटी जमा नहीं की जाती है, तो निदेशक को स्वीकृति आदेश को निरस्त करते हुए प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा।
- (8) **कार्य आदेश:** सफल निविदाकार द्वारा अनुबन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करने तथा परफार्मेंस सिक्यूरिटी तथा अन्य औपचारिकतायें पूरी करने पर उनको कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
- (9) **निविदा की अवधि :**
- (i) निविदा की अवधि, कार्य आदेश जारी किये जाने के अगले माह की पहली तारीख से (अंग्रेजी कलेंडर अनुसार) बारह माह के लिए रहेगी।
- (ii) यदि आवश्यकता हुई तो निविदा अवधि आपसी सहमति एवं कार्य की संतुष्टि के आधार पर पूर्व की शर्तों एवं पूर्व की स्वीकृत दर पर छः - छः माहों के लिए बढ़ाई जा सकती है।
- (10) **अवधि पूर्व ठेके का निरस्तीकरण :**
- (i) यदि ठेकेदार द्वारा ठेका अवधि के पूर्व अचानक ठेका छोड़ दिया जाता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे अपने विवेक से परफार्मेंस सिक्यूरिटी की आंशिक अथवा पूर्ण राशि राजसात कर सकेंगे। साथ ही निविदाकार को पाँच वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज कर दिया जावेगा।
- (ii) यदि ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है एवं नोटिस दिये जाने के बावजूद भी ठेकेदार की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं होता है तो निदेशक को अधिकार होगा कि वे एक सप्ताह के नोटिस पर ठेके को निरस्त करते हुए परफार्मेंस सिक्यूरिटी को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से राजसात कर सकेंगे।
- (11) **भुगतान का तरीका :** ठेकेदार को भुगतान सामान्यतः मासिक रूप से किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा प्रति माह की तीन तारीख तक विगत माह का भुगतान बिल प्रस्तुत किया जायेगा। भुगतान की दर, वार्षिक निविदा दर के 1/12 के बराबर होगी। अपरहार्य कारणों से यदि किसी माह भुगतान में विलम्ब होता है तो ठेकेदार को किसी प्रकार के ब्याज अथवा क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(12) **श्रोत पर आयकर की कटौती :** ठेकेदार को भुगतान की जाने वाली मासिक राशि में से आयकर विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुरूप श्रोत पर ही आयकर की कटौती की जावेगी ।

(13) **कर्मचारियों/श्रमिकों का नियोजन :-**

(i) ठेकेदार को इस कार्य हेतु तीन रखरखाव कर्मी., जिनकी पम्प संबंधित कार्यों की कुशलता के अनुसार (02 कुशल एवं 01 अर्द्ध-कुशल) को रखना होगा, जिससे रखरखाव का कार्य सुचारु रूप से चल सके । ठेकेदार मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्य एवं भूमिगत कैवल कार्य के नियोजन के श्रेणी में न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत भुगतान करना होगा एवं कर्मियों को समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के आधार पर, ठेका अधिनियम एवं अन्य कानूनी नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी । इन नियमों के अनुरूप जो भी अभिलेख संधारित किये जाते हैं वे भी संधारित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी ।

(ii) निविदाकार द्वारा इस कार्य हेतु दर्शाई गई राशि से यदि श्रम नियमों के अनुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान रखरखाव कर्मियों को होना संभव न हो तो ऐसी निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।

(iii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों को ठेके के दौरान, ठेके को अवधि पूर्व निरस्त किये जाने की स्थिति में अथवा ठेका पूर्ण होने के उपरान्त संस्थान में किसी प्रकार के रोजगार की पात्रता नहीं होगी ।

(iv) कार्य के अनुरूप उचित रूप से प्रशिक्षित रखरखाव कर्मियों को ही ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाया जायगा ।

(v) ठेकेदार उनके द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों की सूची, पूर्ण पते सहित, सम्पत्ति अधिकारी को सौंपेंगे । साथ ही कर्मचारियों के आगामी माह का मासिक ड्यूटी चार्ट भी उस माह की एक तारीख को सम्पत्ति अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा । ठेकेदार द्वारा प्रत्येक श्रमिक को पहचान पत्र भी जारी किया जायेगा ।

(vi) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मी संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शालीनता का व्यवहार करेंगे । यदि रखरखाव कर्मियों के व्यवहार के बारे में निदेशक अथवा सम्पत्ति अधिकारी को किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो ठेकेदार को ऐसे रखरखाव कर्मियों को कार्य से 24 घंटे के अन्दर अलग करना होगा एवं उसके स्थान पर दूसरे रखरखाव कर्मियों की ड्यूटी लगानी होगी ।

(vii) ठेकेदार द्वारा लगाये गये रखरखाव कर्मियों को कार्य के दौरान अथवा कार्य के बाद यदि किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण चोट पहुँचती है/आकस्मिक निधन होता है एवं श्रम नियमों के अनुरूप यदि रखरखाव कर्मियों को किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति भुगतान किया जाना है तो यह जिम्मेदारी ठेकेदार की रहेगी । संस्थान, ठेकेदार द्वारा इस प्रकार किये गये किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करेगा ।

(viii) ठेकेदार अपने रखरखाव कर्मियों में से किसी एक को अपने प्रतिनिधि के रूप में नामांकित करेगा जो कि कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर ठेकेदार को दिये जाने वाले नोटिस, स्मरण-पत्र, निर्देश आदि प्राप्त करेगा तथा सम्पत्ति अधिकारी के सतत् सम्पर्क में रहेगा जिससे कि ठेके का कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा सके ।

(ix) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को प्रतिमाह नियमानुसार भुगतान करके, भुगतान का विवरण निर्धारित प्रपत्र में इस संस्थान में प्रस्तुत करना होगा ।

(x) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों को सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

(xi) सफल निविदाकार को लगाये गये सभी रखरखाव कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन एक माह के अन्दर करवाकर देना होगा ।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(14) कार्य का विस्तृत विवरण :

जल प्रदाय व्यवस्था : ठेकेदार, जल प्रदाय हेतु कार्य विवरण में उल्लेखित सभी के पूर्ण रूपेण रख-रखाव हेतु जिम्मेदार होगा। इस कार्य अन्तर्गत पम्प की मोटर खराब होने पर पम्प को बाहर निकालना, उसके स्थान पर आकस्मिक व्यवस्था हेतु संस्थान द्वारा प्रदाय किये गये पम्प को बोर में बैटालना, निकाले गये पम्प की मरम्मत इत्यादि का सम्पूर्ण कार्य शामिल हैं। इस कार्य में पम्प से जुड़े हुए विद्युत पेनल इत्यादि का कार्य भी शामिल हैं। मरम्मत/रखरखाव हेतु जो भी सामग्री आदि लगेगी वह ठेकेदार द्वारा स्वयं क्रय करके लगायी जायेगी। कहने का तात्पर्य है कि जल प्रदाय व्यवस्था हेतु जल के स्रोत से लेकर पम्प तक की लाई, पम्प एवं पम्पहाऊस से जुड़ी हुई सभी व्यवस्थाओं को ठेकेदार द्वारा ही देखा जाना है एवं इस व्यवस्था हेतु जो भी व्यय किया जाना है वह भी ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा। इस मद अन्तर्गत कोई भी सामग्री संस्थान द्वारा नहीं प्रदाय की जायेगी। जल प्रदाय व्यवस्था अन्तर्गत निर्धारित समय पर पम्प को चलाना, सम्पवेल/ओव्हर हेड टैंक को भरना तथा परिसर अन्तर्गत विभिन्न स्थानों पर लगे वाल्व को आवश्यकतानुसार खोलकर/बन्द कर सभी आवासीय/गैर आवासीय भवनों को पानी प्रदाय करने का कार्य भी शामिल है। ओव्हर हेड टैंक के बाद की पाईप लाईन आदि के रख-रखाव की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी। रोज मर्या की साफ सफाई जैसे फिल्टर टैंक में पानी की सतह से काई, पत्तियों कचरा आदि साफ करना (केवल) फिल्टर टैंक के खाली होने के स्थिति में रेत के उपर की सिल्ट आदि सफाई का ठेकेदार द्वारा सम्पादित किये जावेंगे। वर्षा ऋतु में नदी में पानी बढ़ने की स्थिति में पम्प को उपर खिसकाना अथवा गर्मियों में पानी कम होने पर पम्प को नदी की तरफ खिसकाने का कार्य ठेकेदार को आवश्यकतानुसार करना होगा।

(15) शिकायतों का निराकरण :

कार्य विवरण में उल्लेखित सभी पम्प को अच्छी हालत में रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यदि कोई पम्प खराब होता है तो तत्काल उस पम्प के स्थान पर आकस्मिक व्यवस्था हेतु रखे गये पम्प को ठेकेदार द्वारा लगाया जावेगा। यदि आकस्मिक व्यवस्था हेतु पम्प उपलब्ध नहीं है तो खराब हुए पम्प को चौबी स घंटे के अन्दर ठेकेदार द्वारा सुधार कर पुनः लगाया जावेगा। यदि ठेकेदार द्वारा पम्प को निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं सुधारा जाता है तो उक्त कार्य संस्थान द्वारा करा लिया जावेगा। साथ ही पम्प मरम्मत में इस प्रकार किये गये अनावश्यक विलम्ब को ठेके का उल्लंघन माना जावेगा एवं इस प्रकार कराये गये प्रत्येक कार्य के लिए ₹. 1000/- का जुर्माना किया जावेगा। पम्प की मरम्मत पर संस्थान द्वारा किया गया व्यय एवं जुर्माने की राशि ठेकेदार के मासिक देयक से काटी जायेगी। इस संबंध में निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। यदि ठेकेदार द्वारा निदेशक/सम्पत्ति अधिकारी के व्यवस्था में सुधार संबंधी निर्देश को नहीं माना जाता है तो इसे भी ठेके का उल्लंघन माना जावेगा एवं उचित जुर्माना निर्धारित करते हुये मासिक बिल से जुर्माने की राशि काटी जावेगी। ऐसे पम्प (केवल सबमर्सिबल) जिनकी पाँच बार से अधिक बांडिंग हो चुकी है व सुधार के बाद एफिसियेंसी कम हो गई है उन पम्पों के स्थान पर दूसरा पम्प लगाया जावेगा।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

(16) उपकरणों आदि को नुकसान पहुँचाना :

(i) ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि वह ठेका समाप्त के उपरान्त सभी पम्प, उपकरण आदि चालू एवं अच्छी हालत में संस्थान को सौंपेंगे।

(ii) स्थापित उपकरणों को ठेकेदार की लापरवाही से यदि किसी प्रकार का नुकसान पहुँचता है तो उपकरण की मरम्मत ठेकेदार को अपने व्यय पर करनी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा उक्त मरम्मत कार्य नहीं किया जाता है तो संस्थान द्वारा उक्त कार्य करा लिया जायेगा एवं कार्य पर किया गया व्यय ठेकेदार के मासिक बिल की राशि से काटा जायेगा। साथ ही प्रत्येक ऐसे प्रकरण में ₹. 1000/- का जुर्माना भी किया जायेगा। आवश्यक परिसर में फिल्टर युक्त पानी सप्लाई (बिजली न होना व मोटर खराब होने की दशा को छोड़कर) न करने पर प्रति दिन ₹.500/- की दर से आप पर अर्धदण्ड लगाया जावेगा, जो आपके मासिक बिल से काट लिया जावेगा।

(iii) यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय मासिक देयक से ज्यादा है तो अतिरिक्त राशि ठेकेदार की परफार्मेंस सिक्योरिटी से काटी जावेगी। यदि ठेकेदार की लापरवाही से हुआ व्यय परफार्मेंस सिक्योरिटी से भी ज्यादा है तो उक्त व्यय ठेकेदार से बतौर बकाया भू-राजस्व (Arrears of land revenue) वसूल किया जावेगा।

(17) न्यायालय का अधिकार क्षेत्र : यदि इस अनुबन्ध के तहत किसी प्रकार का मतभेद अथवा विवाद उत्पन्न होता है तो इससे संबंधित वाद जबलपुर स्थित सक्षम न्यायालय में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।

दिनांक :

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

स्थान :

निविदाकार का नाम :

पूरा पता :

.....

.....

.....

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा निविदा शर्त क्र. 1 से 19 तक का भलीभाँति अध्ययन कर लिया गया है एवं उनको भलीभाँति समझ लिया गया है एवं मैं उनका पालन करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

दिनांक :
स्थान :

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम :.....

पूरा पता :.....

.....

गवाह -

(1) हस्ताक्षर :.....

नाम :

पूरा पता :.....

.....

फोन नं. :.....

(2) हस्ताक्षर :.....

नाम :

पूरा पता :.....

.....

फोन नं. :.....